न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 175/2025 बउनवानी जगराम सैनी **बनाम** उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर पुत्र श्री रामलाल सैनी निवासी सैनीपुरा ढाणी मलारना डूँगर

GCMS No-2025/345

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
10.12.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 8.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा जरिये को उपजिला कलेक्टर** उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर **में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया था, पर की गई कार्यवाही की संपूर्ण सूचना**" उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः/आरटीआई/2025/573 दिनांक 24.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 08.09.2025 मे चाही गयी सूचना उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक/आरटीआई/25/547 दिनांक 12.112025 द्वारा अपीलांट को कुल चार पृष्ठों की सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 08.09.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना सूचना उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के पत्रांक/आरटीआई/25/547 दिनांक 12.11.2025 द्वारा अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner